न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष संख्या–1, बरेली।

सरकार बनाम पप्पू आदि

मु0अ0सं0–184/2019
धारा–147,148,149,307 भा0दं0सं0
थाना–भुता, बरेली।

दिनांकः 04.07.2019

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पप्पू, राशिद एवं आसिफ उर्फ लटे की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 184/2019 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0, थाना भुता, जिला बरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं एवं उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया है बल्कि साजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है बल्कि झूठी बरामदगी दिखाकर झूठा चालान कर दिया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 27.06.2019 से जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध हैं। अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाये।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से उन पर नाजायज असलहों से फायर किये गये। आरोपित अपराध गम्भीर एवं गैर जमानती प्रकृति का है। समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तगण का ज़मानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण पप्पू, राशिद एवं आसिफ उर्फ लटे का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर सिविल जज (सी0डि0),
संख्या–1, बरेली।